शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

महाविद्यालय परिसर आचार संहिता

1. छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर के अंदर और बाहर अनुशासन के उच्चतम मानकों और सम्मानजनक व्यवहार को बनाए रखें। वे इस तरह कार्य करेंगे जिससे महाविद्यालय की अनुशासन और गरिमा प्रमुखता से प्रदर्शित हो।

2. सभी छात्रों के पहचान पत्र अच्छी तरह से प्रदर्शित होने चाहिए। पहचान पत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है और किसी भी शिक्षण स्टाफ और गैर शिक्षण स्टाफ को इसके परीक्षण का अधिकार होगा। इससे इनकार करने पर अनुशासनात्मक कारवाई की जा सकती है।

3. सभी प्रकार के टैटू, शरीर भेदी, केश सज्जा आदि जो मौजूदा सामाजिक मानदंडों के खिलाफ हैं और जो इस कॉलेज के मूल्यों के खिलाफ जा सकते हैं, उन्हें अनुशासन समिति को भेजा जाएगा।

4. शासनादेश के अनुसार छात्र कॉलेज परिसर के अंदर मोटर चालित वाहन नहीं लाएंगे।

5. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे मर्यादा बनाए रखने के लिए शैक्षणिक भवनों में शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के असभ्य व्यवहार जैसे हूटिंग, सीटी बजाना, अनावश्यक घूमना आदि को अनुशासनहीनता के रूप में माना जाएगा।

6. महाविद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखें। परिसर में रखी कचरे की टोकरी को छोड़कर कहीं भी कूड़ा न डालें। इसका उल्लंघन करने पर कम से कम 100/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

7. किसी भी रूप में नशीले पदार्थों / मन:प्रभावी पदार्थों का सेवन या धूम्रपान या च्युइंग गम, पान मसाला आदि का उपयोग करना सख्त वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर न्यूनतम रु. 500/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

8. विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि दीवारों, दरवाजो या फर्नीचर पर लिखने या नोट करने जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो कॉलेज को खराब कर सकते है और अकादमिक माहौल को नष्ट कर सकते हैं।

9. छात्रों को परिसर में किसी भी तरह के अनाधिकृत समारोह और सजावट करने की अनुमति नहीं है।

10. जूनियर्स को परेशान करना, अन्य साथी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या रैगिंग किसी भी रूप मे आपतिजनक है भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग को आपराधिक कृत्य घोषित किया है।

11. मौजूदा नियम का पालन न करने या कॉलेज के विजन और मिशन से विचलित होने वाले किसी भी मामले में, सभी स्टाफ सदस्यों को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है जिसके फलस्वरूप जांच समिति का गठन और आगे की कार्यवाही होगी।

12. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शैक्षणिक, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर सुविधाओं का अधिकतम स्तर तक उपयोग करें। यह निश्चित रूप से उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ, अकादमिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सतर्क और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाएगा।

प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

Govt. S.M.S. Post Graduate College Shivpuri (M.P.)

CAMPUS CODE OF CONDUCT

1. Students are expected to maintain the highest standards of discipline and dignified manner of behaviour inside as well as outside the college campus. They shall abide by the rules and regulations of the college and should act in a way that highlights the discipline and esteem of the College.

2. All the students shall wear their identity cards, well displayed. Identity badge is a public document and any teaching staff and non teaching staff shall have the right to peruse it. Denial of that alone invites disciplinary action.

3. All kinds of tattooing, body piercing, hair styling etc. that goes against the existing social norms and which could go against the spirit of this college values will be referred to the discipline committee.

4. As per the government order, students shall not bring powered vehicles inside the college campus.

5. Students are expected to maintain silence in the academic buildings to maintain the decorum and, any deviant behaviour such as hooting, whistling, loitering etc. will be treated as an instance of indiscipline.

6. Keep the campus neat and clean. Do not put any waste anywhere in the campus except in the waste basket kept. Any violation of this shall invite a minimum fine of Rs.100/-.

7. Consumption of intoxicants/ psychotropic substances in any form or smoking or using chewing-gum, Pan Masala etc. is strictly prohibited. Any violation of this shall invite a minimum fine of Rs. 500/-.

8. It is strongly advised to refrain from activities such as scribbling or noting on walls, doors or furniture which could deface the college and destroy the academic ambiance.

9. Students are not permitted to arrange any unauthorized celebrations and decorations of any magnitude in the campus.

10. Harassing juniors, ill treatment to other fellow students or any such form of ragging is objectionable and liable to be treated as criminal offence by the law enforcing agencies as per the directives of Hon'ble Supreme Court of India.

11. In case of any instance of non-compliance of existing rule or any observed matter/ behaviour that deviates from the Vision and Mission of the college, all the staff members are empowered to initiate disciplinary procedure by filing in a standard form which in turns may lead to the constitution of an enquiry committee and further proceedings.

12. Students are expected to make use of academic, co-curricular and extracurricular facilities available to the optimum levels. This will certainly make them physically fit, academically competent, mentally alert and socially sensitive.

Principal

प्राचार्य
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)